आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
18/03/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **आपूर्त्ति अपील सं0 31/2012** **बीरेन्द्र कुमार यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 347/आ0 दिनांक 3/3/2012 को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है। प्रश्नगत आदेश के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी ने अपीलकर्त्ता की जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी है। दिनांक 15/11/2011 को जिला स्तरीय जाँच दल के द्वारा अपीलकर्त्ता के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दुकान बंद पाई गई और कई उपभोक्ताओं के द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध अनियमित वितरण करने, निर्धारित शुल्क से ज्यादा राशि लेने तथा विभिन्न विहित सूचनापट्ट को प्रदर्शित नहीं करने के आरोप लगाए जाने के कारण कारणपृच्छा की गई और प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। अपना पक्ष रखते हुए अपीलकर्त्ता ने कहा कि निर्धारित तिथि को उसे अपनी दुकान अचानक बंद करनी पड़ी, क्योंकि उसके पुत्र की तबीयत खराब हो गई थी और उसकी चिकित्सा कराने के लिए वे उसे चिकित्सक के पास ले गए थे। उन्होंने भंडार पंजी तथा वितरण पंजी की छायाप्रति को संलग्न करते हुए अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया था, किन्तु उसके साक्ष्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बगैर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया, जो विधि के प्रतिकूल है। प्रतिवादी राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि यह सत्य है कि निरीक्षण तिथि को अपीलकर्त्ता की दुकान अनधिकृत तौर पर बंद पाई गई थी, किन्तु अपीलकर्त्ता के द्वारा समर्पित चिकित्सा प्रमाण–पत्र की अनदेखी की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्नगत आदेश तर्कों एवं साक्ष्यों के विवेचन पर आधारित नहीं है तथा यह विधि सम्मत् भी नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने तथा मूल अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत आदेश में तर्कों, साक्ष्यों और	

परिस्थितियों का किसी भी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है और अपीलकर्त्ता के स्पष्टीकरण को मात्र असंतोषप्रद बताते हुए उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। इस प्रकार के आदेश का वैधिक समर्थन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रश्नगत आदेश को **set aside** करते हुए मामले को पुनः अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष रिमिट किया जाता है और उन्हें आदेश दिया जाता है कि इस मामले की पुनः सुनवाई करते हुए अधिकतम एक माह के भीतर विधि-सम्मत् एवं विस्तृत आदेश पारित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

18/3/13

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

18/3/13

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ____ / विधि, दिनांक ____

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को उनके पत्रांक 979/आ० दिनांक 31-8-12 द्वारा अभिलेख संख्या-11-52/2012 में कुल 73 पन्ना प्राप्त हुआ था जो मूल में अभिलेख संलग्न कर सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- अभिलेख सं०-11-52/2012
वीरेन्द्र कु० यादव
कुल 1 से 73 पन्ना

ह०

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा

ज्ञापांक 897 / विधि, दिनांक 2.4.2013

प्रतिलिपि- एन० आई० सी० पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
30/3/13